विचार प्रवाह

मुखोटे

21वीं सदी की नारी ने न सिर्फ अपने घूंघट को अपने से अलग किया है वरन उसने अपने कुछ यथोचित गुणों को भी तिलांजलि दे दी है ।

घूंघट में रहने वाली, पर्दा करने वाली और पर पुरुष के सामने नज़रे नीचे करके दरवाजे के पीछे से या परदे के पीछे से धीमी -मधुर भाषिणी आज ना सिर्फ जींस टॉप, क्रॉप टॉप -स्कर्ट में हाई हील की सैंडल पहन कर लैपटॉप पर अपनी नर्मो- नाजुक उंगलियां दौड़ा रही है वरन् वह बिकनी में भी बिना किसी शर्म के समुद्र का सीन चीरती नजर आ जाती है।

21वीं सदी को स्त्री सदी के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है क्योंकि इसी सदी में महिला सशक्तिकरण को लेकर सर्वाधिक कार्य हुआ है। इसी सदी में सर्वाधिक महिलाओं की यथा- किरण बेदी, इंदिरा नूई ,अर्चना शर्मा, चंदा कोचर , एंजेला मार्कल, जूलिया गिलाई ,सुषमा स्वराज द्रौपदी मुर्मु आदि ने ना सिर्फ अपने काम से सदी में अपने नाम के परचम को फहराया है वरन दूसरों को सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने की राह भी सुलभ करवाई है ।

तो वहीं सिक्के का दूसरा काला पहलू भी उभरकर सामने आ रहा है, जहां ! अति ख्वाहिश या हवस की मारी नारियां यथा मुस्कान और रविता जैसी महिलाओं का एक अलग घिनौना चेहरा आज समाज के सामने कई सवाल खड़े कर रहा है

कब.. क्यों ..और कैसे? एक ममतामई स्नेही और सहनशील नारी जो सृष्टि की जन्मदात्री है कातिल बन रही है उसके मन में इतना क्रोध क्यों?

कहीं लगातार उसकी इच्छाओं आकांक्षाओं को दबाए जाने की वजह से तो नहीं है । सदियों तक अंदर ही अंदर धधकता लावा ज्वालामुखी बन कर जब फूटता है तो उसका रूप बहुत ही विकराल होता है ।

कोख में मार देना ,गाली -गलौज, छेड़छाड़ -बलात्कार का दबाव सहते-सहते महिलाएं अपने हक और अधिकारों को लेकर जागरूक हुई।

बदलाव की मीठी बयार यकायत जहरीली होने लगी जब नन्ही बच्चियों के जीवन और नारी जाति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, तब स्त्री का एक अलग ही अवतार हमारे सामने अचानक का खड़ा हुआ है।

कभी अपने अधिकारों के लिए एक शब्द भी ना बोल पाने वाली महिला अपनी ख्वाहिशों और प्यार की खातिर बॉर्डर पार करने से भी नहीं हिचकिचाती। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की हैरत -अंगेज कर देने वाली कहानी बताती है कि अब महिलाएं न सिर्फ देहरी वरन अपनी खुशियों के लिए बॉर्डर भी लांघने से गुरेज नहीं कर रही हैं। एक तरफ महिलाओं की बढ़ती आजाद ख्याली और दूसरी तरफ समाज में परिवारों का होता विघटन । नित्त नए तलाक के बढ़ते केस, बच्चों का छोटी-छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाना बुजुर्गों का अकेलापन आदि समाज की चिंता को बढ़ा रहे हैं।

क्या हमें थोड़ी देर ठहर कर यह देखने -समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि समाज किस तरफ का रुख कर रहा है? सफलता के लिए कदम बढ़ाना अच्छी बात है और इसके लिए किसी भी हद तक जाना जायज है । लेकिन सफलता के नशे में हदें तोड़ देना या आजादी के नाम पर नग्नता से पेश आना कदापि सही नहीं है ।

प्रकृति अपनी हदें कभी नहीं तोड़ती। हमें सदैव प्रकृति से सीख लेनी चाहिए ।आदिकाल से ही प्रकृति अपने बनाए नियमों के अनुसार चल रही है ।

मनुष्य एक तरफ प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है तो दूसरी तरफ समाज के बनाए नियमों को दरकिनार करके लिव इन रिलेशन में रह रहा है। कानून भी इसमें उनका पूरा साथ दे रहा है। समाज की शर्म तो आज मानव के चेहरे पर किंचित मात्र भी नहीं रह गई है ।

समाज यदि यूं ही खिलंदडता के साथ एक- दूसरे की भावनाओं से खेलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब समाज नाम की परंपराएं चरमरा जाएंगी और हम इंसान होने पर शर्म महसूस करेंगे।

दविंदर कौर होरा
इंदौर मध्य प्रदेश

मंडनमिश्र की निशानियों का संरक्षण जरूरी

जिनके नाम से पड़ा नगर का नाम उसकी निशानियों का संरक्षण जरूरी

मंडलेश्वर/साहिल कुरैशी। मंडलेश्वर नगर का नाम आचार्य मंडन मिश्र के कारण पड़ा था। जिस महान व्यक्तित्व के कारण नगर को पहचान मिली है उससे जुड़ी नगर की दो महत्वपूर्ण निशानियों को सहेजने का काम होना जरूरी है। सिंहस्थ योजना में इन धरोहरों के संरक्षण के लिए भी प्रयास करना जरूरी है ।

मंडलेश्वर नगर अत्यंत प्राचीन नगर है इसका अस्तित्व त्रेता युग में भी रहा है।जब भगवान परशुराम ने महिष्मति के सम्राट सहस्त्र बाहु का वध किया था उस समय भगवान परशुराम ने नगर के गंगाझीरा नामक स्थान पर अपने फरसे से एक कुंड बनाया था जिसमें से गंगा की निर्मल धारा निकली थी।

यहां उन्होंने स्वयं गंगा स्नान कर एक शिवलिंग की स्थापना कर प्रायश्चित किया था

वह गंगाझीरा आज भी निर्मल पानी की धारा प्रवाहित कर रहा है और भगवान परशुराम द्वारा स्थापित मलशमनेश्वर शिवलिंग आज भी विराजित है। जहां जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इतिहासिक के जानकार दुर्गेश राजदीप के अनुसार मंडलेश्वर नगर का अस्तित्व भगवान परशुराम के समय से लेकर महाभारत काल में और आदि शंकराचार्य के समय भी था तब यह महिष्मति नगर का एक भाग था जो कालांतर में एक स्वतंत्र नगर बन गया।

महिष्मति क्षेत्र में ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले है जो नावडाटोडी अकबरपुर और

महिष्मति की खुदाई में पुणे के डेकन कॉलेज ने खोजे थे। मंडलेश्वर नगर में आचार्य मंडन मिश्र से जुड़े दो शिवालय आज भी अच्छी स्थिति में देखे जा सकते है। इनमें गुप्तेश्वर मंदिर और छप्पन देव मंदिर शामिल है।आदि शंकराचार्य और आचार्य मंडन मिश्र के बीच हुआ प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यहीं हुआ था। पंडित पंकज मेहता के अनुसार जब आदि शंकराचार्य उत्तर भारत से महिष्मति के मंडन मोहल्ले में पहुंचे थे तब उनका शास्त्रार्थ पहले मंडन मिश्र से हुआ जिसमें आदि शंकर का दर्शन भारी पड़ा था उसके बाद उनका सामना आचार्य मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी भारती देवी से हुआ था जिनके काम विषय के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आदि शंकराचार्य के पास नहीं थे क्योंकि वे बाल ब्रम्हचारी थे । तब आदि शंकर ने भारती देवी से उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए समय मांगा और वे परकाया प्रवेश कर गए इस अवधि में उनका स्थूल शरीर गुप्तेश्वर मंदिर में सुरक्षित रखा गया था। दूसरा मंदिर 56 देव मंदिर है जिसकी स्थापना स्वयं आदि शंकराचार्य द्वारा शास्त्रार्थ स्थल पर किया गया था जिसे मंडनेश्वर शिवालय नाम दिया गया था।

ये दोनों मंदिर मंडन मिश्र और आदि शंकर की उपस्थिति के साक्ष्य है।ये दोनों मंदिर मध्यप्रदेश सरकार की पवित्र नगरी योजना में भी शामिल है लेकिन इस योजना में इन दोनों महत्वपूर्ण मंदिरों में कोई निर्माण कार्य या जीर्णोद्धार कार्य नहीं हुआ है।यदि सिंहस्थ योजना में इनके लिए कुछ हो जाए तो यह नगर के लिए गौरव की बात होगी।

स्थानीय निकाय और एस डी एम कार्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में इन मंदिरों के नाम भी शामिल है।

पीएम कॉलेज आफ़ एक्सीलेंस झाबुआ के एनसीसी केडेट्स का बी सर्टिफिकेट परीक्षा का परिणाम रहा 98 प्रतिशत

झाबुआ। प्रधानमंत्री कॉलेज आफ़ एक्सीलेंस शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ के सत्र 2024 - 25 के 48 एनसीसी कैडेट्स ने बी सर्टिफिकेट की परीक्षा दी थी। जिसका परीक्षा परिणाम 98 प्रतिशत रहा है।

48 केडेट्स ने दी थी परीक्षा

बालक वर्ग में 22 केडेट परीक्षा में शामिल हुए थे, जो सभी उत्तीर्ण रहे। वहीं बालिका वर्ग में 26 केडेट ने परीक्षा दी थी जिसमें से 25 उत्तीर्ण हुई। यह परीक्षा 21 एमपी एनसीसी बटालियन रतलाम में आयोजित हुई थी।

महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते समय विद्यार्थियों की रूचि अनुसार इस इकाई में प्रवेश मिलता है। जिसका फायदा सेना, पुलिस, एमपीपीएससी आदि में नौकरी में चयन होते समय अधिभार और प्राथमिकता के रूप में मिलता है।

सभी केडेट्स के उत्कृष्ट प्रदर्शन से महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जेसी सिन्हा, प्रशासनिक अधिकारी डॉ. रविंद्र सिंह, मेजर डॉ. गोपाल भूरिया, प्रो. प्रीति मालवीय, शंकरलाल खरवाडिया, डॉ. बीएल डावर, डॉ. लोहार सिंह ब्राह्मणे आदि सहित महाविद्यालय के समस्त स्टाफ ने हर्ष व्यक्त करते हुए उत्तीर्ण केडेट्स को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

कसरावद में एसडीएम ने ली पटवारियों एवं कृषि विभाग के अमले की बैठक

इंदौर समाचार सेवकराम चौबे। कसरावद एसडीएम श्री सत्येन्द्र बैरवा ने क्षेत्र के सभी पटवारियों एवं कृषि विभाग के मैदानी अमले की संयुक्त बैठक लेकर उन्हें खेतों में नरवाई जलाने पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

नरवाई बचाओ खाद बनाओ अभियान चलाकर किसानों को जागरूक करने के निर्देश

बैठक में बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा संपूर्ण खरगोन जिले में पर्यावरण सुरक्षा एवं आम जन व जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए फसलों विशेषतः गेहूं, मक्का, चना आदि के अवशेष (नरवाई) खेतों में जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति की विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। अतः सभी पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अपने क्षेत्र में नरवाई जलाने की घटना न होने दें और किसानों के बीच नरवाई बचाओ खाद बनाओ अभियान चलाकर उन्हें नरवाई जलाने से होने वाले नुकसानों से अवगत कराएं।

खेतों में नरवाई जलाने पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

खरगोन। पर्यावरण सुरक्षा, आमजन एवं जीव-जंतुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मितल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण खरगोन जिले में फसलों के अवशेष नरवाई खेतों में जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। खरगोन जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा खेतों में फसलों विशेषत: गेहूं, मक्का, चना आदि की कटाई के उपरांत उनके अवशेषों नरवाई को खेतों में जलाया जाएगा तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी और दोषी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पटवारी, थाना प्रभारी एवं कृषि विभाग के अमले को निर्देशित किया गया है कि संपूर्ण खरगोन जिले में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा खेत में नरवाई जलाने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के साथ जुर्माना लगाने की कार्यवाही भी करें। दो एकड़ तक के रकबे में नरवाई जलाने पर 2500 रुपये, 02 से 05 एकड़ के रकबे में नरवाई जलाने पर 05 हजार रुपए एवं 05 एकड़ से अधिक रकबे में नरवाई जलाने पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

अलिराजपुर पुलिस द्वारा आपदा प्रबंधन एवं लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण आयोजित

अलीराजपुर । पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप पटेल के मार्गदर्शन में जनहित एवं आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता हेतु अलिराजपुर पुलिस द्वारा एक दिवसीय आपदा प्रबंधन एवं बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य रहा।

पुलिस बल व नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं, सड़क दुर्घटनाओं, अग्निकांड एवं अन्य आपात स्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया देने हेतु तैयार करना

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को CPR (Cardiopulmonary Resuscitation), प्राथमिक उपचार, घायलों की सुरक्षित निकासी, अग्निशमन उपाय तथा संकट की स्थिति में समन्वय एवं नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन विशेषज्ञ प्रशिक्षकों एवं आपदा प्रबंधन दल (NDRF) होमगार्ड कार्यालय अलीराजपुर द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, होमगार्ड एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। यह पहल जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम है जो न केवल पुलिस बल की तत्परता को बढ़ाएगा, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा में भी सहयोगी सिद्ध होगा।

परशुराम जयंती को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक संपन्न

महेश्वर। गुरुवार को भगवान परशुराम मंदिर में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्व सम्मति से सर्व ब्राह्मण समाज के कार्यकारी अध्यक्ष एवं परशुराम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष के रूप में पं सत्यदेव जी बंदूके का मनोनयन किया गया।

तत्पश्चात परशुराम जन्मोत्सव के संदर्भ में बैठक में आयोजित हुई जिसमें दिनांक 30 अप्रैल को परशुराम जन्मोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार प्रातः 8 बजे भगवान परशुराम का अभिषेक एवं आरती होगी

दोपहर 4 बजे भवानी माता चौक से परशुराम मंदिर तक शोभायात्रा निकाली जाएगी। रात्रि 8 बजे परशुराम मंदिर में महा आरती एवं 56 भोग लगाए जाएंगे। परशुराम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के लिए जो भी लोग अपना स्वेच्छा अनुदान देना चाहते है वो सत्यदेव बंदूके को जमा कर सकते है।

बैठक में समस्त विप्र बंधुओं से निवेदन किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में सम्मिलित हों। बैठक में परशुराम जन्मोत्सव समिति का भी मनोनयन किया गया जिसमें राजेश शर्मा , शंकर बिल्लौरे, प्रदीप शर्मा, बंशीलाल शर्मा, महेंद्र चतुर्वेदी, सागर शर्मा, अतुल जोशी,नवनीत शर्मा, माधवन गावशिदे,स्नेह श्रोतरीय , सावन उपाध्याय, कुंज शर्मा एवं रोहित जोशी शामिल हैं।

अलीराजपुर जिले की पुलिस की वर्ष 2025 की अब तक की अवैध शराब के विरूद्ध जिले की सबसे बड़ी कार्यवाही

अलीराजपुर। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री राजेश व्या स ने बताया कि थाना जोबट क्षैत्रान्तर्गत दिनांक 17.04.2025 की शाम थाना प्रभारी जोबट निरीक्षक विजय वास्कोले को कस्बा/देहात भ्रमण के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बाग रोड जिला धार तरफ से जोबट की ओर अवैध शराब परिवहन संबंधी वाहन आ रहा है, तभी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जोबट श्री नीरज नामदेव के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी जोबट एवं उनकी अधीनस्थ टीम के द्वारा मुखबीर द्वारा बताये मार्ग पर पहुंचकर अलीराजपुर जिले की सीमा पर

थाना जोबट क्षैत्रान्तर्गत अवैध शराब परिवहन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही।

1500 पेटी शराब कीमती 85 लाख 25 हजार रूपये की जप्तद।

1 आरोपी गिरफ्तार एवं 01 वाहन कीमती 25 लाख रूपये का जप्तश किया गया।

बने पुलिस सहायता केन्द्रट पर वाहन की घेराबंदी हेतु नाकेबंदी की गई, तभी पुलिस टीम को धार जिले के बाग की तरफ से जोबट की ओर आँयशर वाहन आते हुये दिखाई दिया।

पुलिस टीम के द्वारा आँयशर वाहन क्रमांक MP09DP8603 को रोककर वाहन चालक का नाम/पता पूछते अपना नाम संजय पिता सोहन पंवार 27साल, निवासी 122 मेढकवास, देपालपुर जिला इंदौर का होना बताया।

आँयशर वाहन की तिरपाल हटाकर वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में गोवा व्हिस्की कंपनी की बडी मात्रा मे पेटीयां भरी हुई थी, जिसके संबंध में वाहन चालक संजय से पूछताछ करते उसके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया गया।

पुलिस टीम के द्वारा घटनास्थल से आँयशर वाहन मय अवैध शराब के अपने कब्जों मे लेते हुये आरोपी को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर थाना जोबट लाया गया व वाहन से पेटीयां उतारकर गिनती की गई। आँयशर वाहन क्रमांक MP09DP8603 मे 1500 पेटी गोवा व्हिस्की 13500 लीटर कीमती 86 लाख 25 हजार एवं अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्तक वाहन कीमती 25 लाख रूपये का विधिवत जप्तस करते हुये, वाहन चालक संजय पिता सोहन पंवार 27 साल, निवासी 122 मेढकवास, देपालपुर जिला इंदौर को गिरफतार कर थाना जोबट मे अपराध क्रमांक 138/2025, धारा 34(2),36, 46 आब. एक्ट का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास ने बताया कि वर्ष 2025 में अवैध शराब के विरूद्ध अलीराजपुर पुलिस की अबतक की सबसे बडी कार्यवाही जोबट क्षैत्रान्तर्गत हुई है।

अलीराजपुर पुलिस के द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध अलीराजपुर की लगातार निगाह बनी होकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिले मे अबतक कुल 422 प्रकरणों में 32098 लीटर अवैध शराब कीमती 1 करोड 40 लाख रूपये की जप्तक की जा चुकी है तथा अवैध शराब परिवहन में करीबन 1 करोड रूपये से अधिक के 09 वाहन भी जप्त किये गये हैं।

थाना जोबट क्षैत्रान्तहर्गत की गई कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक विजय वास्क ले, उप निरीक्षक रविन्द्र डांगी, उप निरीक्षक गोविन्दह कटारे, आर मनीष चरपोटा, आर गजेन्द्र निंगवाल, आर चैनसिंह एवं आर रवि निनामा का सराहनीय योगदान रहा है।